न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 796 / 2022

अनवान : –

1. विपिन कुमार पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. विक्रम कासनिया पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. आशाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. मोनिका पुत्री आशाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 14/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 60 / 48 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा व रोही मौजा 5 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 60 / 56 की कुल 0.759है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 87 / 82 की कुल 0.2029है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा व खाता स0 89 / 88 की कुल 13.0928है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 59 / 55 की कुल 3.2134है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा व रोही मौजा 6 केएम तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 80 / 70 की कुल 2.7080है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 12 केएम तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 111 / 110 की कुल 0.5060है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा व खाता स0 112 / 111 की कुल 3.7950है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 381 / 182 की कुल 5.9190है0 भूमि में से 949 / 29595 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:41 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई [illegible] कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद [illegible] करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी[illegible] तथा प्रतिवादी स0 [illegible] प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

समझौते अनुसार रोही मौजा 3 केएम, 5 केएम, 19 आरडब्ल्यूडी, 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर व 6 केएम, 12 केएम तहसील रावतसर की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 ने वादीगण को दे दी व रोही मौजा थिराना की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 स्वयं ने अपने नाम रख ली । प्रतिवादी सं0 1 ने अन्य कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार किया है। प्रतिवादीया स0 2 जो की वादीगण की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है वह पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। हकत्याग के बाद वाद भूमि केवल वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के हक व हिस्सा की भूमि है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की प्रतिवादी स0 1 जो वादी का पिता है के नाम दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 3 व 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 पेश किया जाकर निवेदन किया की तहसील रावतसर के चकों में दर्ज वाद भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखा जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्यं रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगणका जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार रोही मौजा थि[illegible]मि प्रतिवादी स01 स्वयं ने अपने नाम रख ली है तथा अन्य वादग्रस्त भू[illegible]ण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश कि[illegible] जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में उक्त वाद भूमि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है। प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 60/48 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा 5 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 60/56 की कुल 0.759है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 87/82 की कुल 0.2029है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व खाता स0 89/88 की कुल 13.0928है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 59/55 की कुल 3.2134है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा उक्त सभी खातों में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:41 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 796/2022

अनवान : –

1. विपिन कुमार पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. विक्रम कासनिया पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. आशाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. मोनिका पुत्री आशाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 60/48 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा 5 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 60/56 की कुल 0.759है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 87/82 की कुल 0.2029है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व खाता स0 89/88 की कुल 13.0928है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 59/55 की कुल 3.2134है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा उक्त सभी खातों में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/03/24. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:41 IST
Reason: SelfAttested